



कार्यालय विधुत भवन ज्योति नगर, जयपुर 302005
[कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन):U40109RJ2000SGC016485]

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता (टी. एण्ड सी.)

राजस्थान राज्य विधुत प्रसारण निगम लिमिटेड, सीकर

फतेहपुर रोड, सबलपुरा, सीकर - 332001 दूरभाष नं० 01572 - 272002

ईमेलआईडी: xen.tnc.sikar@rvpn.co.in; वेबसाइट: www.rvpn.co.in

क्रमांक/रा.रा.वि.प्र.नि./ अ.अ. (टी.एण्ड सी.) सीकर/संस्थापन/प्रे. 73 दिनांक 10-07-19

निमित्त:-

उप वन संरक्षक,
सीकर।

विषय:- Upgrading work of 132 KV S/C Line Sanwali Road water work - Ranoli (with dismantling of existing H-Pole) Proposal No. FP/RJ/TRANS/36179/2018

संदर्भ:- आपका ई0डी0एस0 -IV दिनांक 25.06.2019 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव में आप के ई0डी0एस0 - IV के क्रम में चाही गई सूचना निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	Essential Details Sought	Compliance
1	प्रस्ताव के साथ संलग्न जी टी शीट में प्रस्तावित लाइन को मार्क किया गया है। उक्त विधुत लाइन के जीपीएस कोर्डिनेट्स मौका स्थिति अनुसार मिलान नहीं कर रहे है।	प्रस्ताव के साथ संलग्न जी टी शीट में प्रस्तावित लाइन को मार्क किया हुआ है। प्रत्येक टावर के जीपीएस कोर्डिनेट्स टावर संख्या 0 से 77 संलग्न है तथा वन भूमि में आने वाले टावरों के जीपीएस कोर्डिनेट्स टावर संख्या 2 से 8 तक मौका स्थिति अनुसार ही है।
2	प्रस्तावित विधुत लाइन को मौके पर चिन्हित नहीं किया गया है।	प्रस्तावित विधुत लाइन के एक भाग को मौके पर चिन्हित कर दिया है एवं शेष भाग वर्तमान में मौके पर स्थापित है।
3	प्रस्तावित विधुत लाइन में आने वाली वन भूमि के गजट नोटिफिकेशन एवं खसरा सूची की प्रती संलग्न नहीं है।	वन भूमि की खसरा सूची की प्रति संलग्न है, जो कि पटवारी हल्का द्वारा सत्यापित नक्सा के अनुसार है। गजट नोटिफिकेशन वन विभाग के पास ही है तथा पार्ट-II में प्रस्तुत करना प्रस्तावित है।
4	एरिया कैलकुलेशन शीट में वन खण्ड बीड देवीपुरा के ग्राम कस्बा सीकर एवं देवीपुरा के खसरा नम्बरों का ग्रामवार विवरण संलग्न नहीं किया गया है।	खसरा वाइज एरिया कैलकुलेशन शीट में वन खण्ड बीड देवीपुरा के ग्राम कस्बा सीकर एवं देवीपुरा के खसरा नम्बरों का ग्रामवार विवरण मूल प्रस्ताव में संलग्न है।
5	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि की केएमएल फाईल संलग्न नहीं है।	चूंकि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि न देकर परिभाषित वन भूमि पर दुगुनी क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण राशी देने का विकल्प लिया है, अतः क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु परिभाषित वन भूमि का चयन कर उसकी के.एम.एल. फाईल आप द्वारा प्रस्ताव के पार्ट-II में प्रस्तुत करना प्रस्तावित है।

अतः निवेदन है कि प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही कर सैधान्तिक स्वीकृति दिलवाने की कृपा करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

अधिशाषी अभियन्ता (टी. एण्ड सी.)
रा.रा. वि. प्र. नि. लि. सीकर।